

बिहार सरकार  
भवन निर्माण विभाग।

सेवा में,

महालेखाकर (ले एवं हक), बिहार,  
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना,दिनांक:- 28/11/26

विषय:- विधि विभाग से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राशि ₹ 62,66,949/- (बासठ लाख छियासठ हजार नौ सौ उनचास रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति ।

आदेश:- स्वीकृत ।

विद्युत कार्यपालक अभियंता/ कार्यपालक अभियंता द्वारा समर्पित अधियाचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में विधि विभाग से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निम्न विवरणीनुसार कुल राशि ₹ 62,66,949/- (बासठ लाख छियासठ हजार नौ सौ उनचास रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदान की जाती है :-

क्रमांक	प्रमंडल का नाम	अधियाचना आई०डी०/ पत्रांक एवं दिनांक	योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या/ दिनांक	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए व्यय हेतु स्वीकृत राशि
01.	विद्युत भवन प्रमंडल सं०- 01, पटना	29018	Electrical wiring & Electrical Installation, SITC of Split AC in Extended Area at the Satellite Office of SUVAS Cell along with Provision of Computer Point in Main Building at Bunglow No-08, South Bailey Road, Patna	5497/ 27.08.25	1266949 (बारह लाख छियासठ हजार नौ सौ उनचास रुपये)
02.	संरचना प्रमंडल सं०- 02, पटना	1996/ 29.12.25	माननीय उच्च न्यायालय, पटना परिसर में विभिन्न बहुमंजिला भवनों यथा प्रशासनिक एवं आई०टी० भवन, ऑडिटोरियम एवं ए०डी०आर० भवन, मल्टी लेबल कार पार्किंग भवन, टाईप बी०, टाईप सी० एवं टाईप डी० आवासीय भवन, हाई साईड सर्विस भवन आदि निर्माण कार्य	3187/ 22.05.25	5000000 (पचास लाख रुपये)
कुल राशि					6266949

(बासठ लाख छियासठ हजार नौ सौ उनचास रुपये)

- उक्त कार्य पर राशि का व्यय मांग संख्या-03 के मुख्यशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्यशीर्ष-60-अन्य भवन, लघुशीर्ष-051-निर्माण, उपशीर्ष-0121-पटना उच्च न्यायालय का विस्तारीकरण, विपत्र कोड-03-4059600510121 के विषयशीर्ष-53-मुख्य निर्माण-0121.53.01-मुख्य निर्माण कार्य अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में किया जायेगा।
- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित विद्युत कार्यपालक अभियंता/ कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग होंगे ।
- इस राशि की निकासी निर्माण भवन कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, नेहरू पथ, पटना से की जायेगी ।
- प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।
- स्वीकृत राशि के विरुद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से की जा रही है।

(राजेश कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव।

2